न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

ासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व वाद संख्या : 127/2021
CMS NO. : 2021/00217

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. मांगीलाल पुत्र केसाराम	1. गंगादेवी पत्नी बगदाराम
2. मेतीलाल पुत्र केसाराम	2. भगाराम पुत्र घीसाराम
3. पुसाराम पुत्र केसाराम	3. खुमाराम पुत्र घीसाराम
जातियान– माली, निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राजस्थान।	4. शोभाराम पुत्र घीसाराम
	5. भंवरलाल पुत्र घीसाराम
	6. तेजाराम पुत्र घीसाराम जातियान– सीरवी, निवासी–निम्बोल तहसील– जैतारण जिला–ब्यावर

जस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम, 1956 तारीख रजू:–06.08.2021

स्थित:–

1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश कुमार चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीण।

–:: निर्णय ::– दिनाँक:–08/04/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 28 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया सरहद मौजा निम्बोल में प्रार्थीगण की खातेदारी एव कब्जे काश्त की जमीन सरा नम्बर 783/2 रकबा 20 बीघा यानि 3.2375 हैक्टर किश्म बारानी दोयम आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त जमीन के लगते ही सरा नम्बर– 783 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किश्म बारानी दायम की जमीन प्रार्थी सख्या एक व दो की आई हुई है अप्रार्थी संख्या एक व दो ने उक्त भूमि नांक 22–6–2021 को ओमकंवर पत्नि भवानीसिंह से जरिए रजिस्ट्री खरीद की । खसरा संख्या 783/6 रकबा 2 बीघा 17 बीस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 03 से 5 की खरीद सुदा आई हुई है। उक्त भूमि का मूल खसरा नम्बर– 783 रकबा 72 घा था जिसके अलग अलग कुल 08 खसरे यानि बट्टा नम्बर होकर अलग अलग श्तकारों के नाम बैचान हो गये लेकिन मूल खसरा नम्बर 783 अब राजस्व रेकर्ड 04 बीघा 13 बिस्वा रहा मौके पर अप्रार्थीगण ने 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर या प्रार्थीगण के खसरा नम्बर– 783/2 रेकर्ड में 20 बीघा जमीन बताई गई मौके प्रार्थीगण के पास 15 बीघा जमीन है यानि [illegible] जमीन प्रार्थीगण के पास म हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में हमेशा [illegible] को लेकर विवाद रहता है प्रार्थीगण संख्या में ज्यादा होने से लाठी के बल पर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की मीन खसरा नम्बर 783/2 में 05 बीघा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

के पर सीमांकन कर पत्थर गड़ी नहीं की गई तो अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण
ी खातेदारी जमीन पर फसल की बुवाई कर देगे तो मौके पर लडाई झगडा
गा। एवं प्रार्थीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगे। एव प्रार्थीगण का
सीम नुकसान होगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सीमांकन कर
त्थर गढी करवाई जाना आवश्यक है। अपार्थीगण सख्या में ज्यादा होने से प्राथीगण
ी जमीन घर रात बिरात कब्जा कर लेंगे और आपस में झगडा कर मौके पर शांति
ग कर देंगे इसलिए राजस्व रेकर्ड माफिक राजस्व विभाग के पाँच सदस्य की टीम
ठित कर खसरा नम्बर 783/2, 783, 783/6 का सीमांकन करवाकर पत्थर गढी
रवाई जाना जरूरी है ताकि सीमा का विवाद हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो सके।
प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई जमीन से मौके पर ज्यादा जमीन पर कब्जा करना
ाहते है और कब्जा करके पक्का या कच्चा निर्माण कर देगे तो मौके पर
ड़ाई झगडा होगा तथा खून खच्चर होने की पूर्ण सम्भावना रहेगी इसलिए जब तक
क्त तीनों खसरान का राजस्व टीम गठित कर नाप-चोप होकर सीमांकन कर पत्थर
ढी नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर- 783,783/6 पर कोई
च्चा या पक्का निर्माण नहीं कर रोका जाना जरूरी हैं। खसरा नम्बर
783,783/2,783/6 की तरमीम पटवारी हल्का निम्बोल ने बिना नाप चोप किये ही
ी है जो गलत है तरमीम को रद् किया जाना जरूरी हैं। मुतनाजा भूमि ग्राम
िम्बोल में होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए
ोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 06 तक ने जवाब पेश
िया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने मौका, वस्तुस्थिति रिपोर्ट
य जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है, जो शामिल मिसल किया गया।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की
हस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन
िम्नानुसार हैः-

. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956
स्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 03 की खातेदारी व
ब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 783/2 रकबा 20 बीघा (3.2375
क्टेयर) राजस्व मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
िम्बोल तहसील जैतारण में आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है।
ार्थीगण के खसरा के लगते ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा संख्या
783 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तथा अप्रार्थी संख्या 03 से
06 की खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 783/6 [illegible] 2 बीघा 17 बिस्वा खरीद शुदा
आई हुई है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 783/2 में [illegible] बीघा जमीन पर कब्जा करने
र उतारू है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के आपस में हमेशा मांठ को लेकर विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

ा है। प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान के आदेश के साथ पत्थरगड्डी नेखमबंदी नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश जारी करावें।

2. अप्रार्थी सख्या 01 से लगायत 06 तक की ओर से कथनानुसार स्व मौजा निम्बोल में स्थित खसरा नम्बर 783 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म ानी दायम की भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 व गंगादेवी हिस्सा 73/93 अप्रार्थी भगाराम का हिस्सा 20/93 की आई हुई है। स पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त व हक अधिकार है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या व 02 ने जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के भूमि के पूर्ववर्ती खातेदारों से खरीद ते हुये मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार से वक्त खरीद के ही जवाब न्दागण ने मोके पर नाप चौप करवाकर पत्थर गढ़ी व नेकमबन्दी करवाते हुये नी खरीद सुदा भूमि के चारो तरफ जोधपुर की पट्टिया खड़ी कर लोहे की तारबन्दी जाली करवायी हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 783/6 रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी/ जवाब देहन्दा संख्या 03 से लगायत 6 है। उक्त भूमि भी जवाब देहन्दागण की जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के खरीद ा भूमि है। जिसकी वक्त खरीद से ही नाप चौप करवाकर मोके पर पत्थर गढी व ब्रमबन्दी करवायी हुई है। तथा अप्रार्थीगण की अपनी इस खातेदारी सुदा भूमि के रो तरफ वक्त खरीद के ही जोधपुर की पट्टिया खड़ी कर लोहे की जाली व तारबन्दी हुई है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण की भूमि अलग से स्थित है। जिसके नाप चौप लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा ख्या 783/2 रकबा 20 बीघा यानि 3.2375 हैक्टयर बारानी दोयम भूमि में प्रार्थी गीलाल एवं मोतीलाल बतौर खातेदार दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खसरा ख्या 783 रकबा 0.7527 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 06 तक सरा संख्या 783/6 रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। नों खसरान् की भूमियां भू नक्शा मे पृथक पृथक तरमीमशुदा है तथा तीनों खसरान् ो भूमि की सीमा परस्पर मिलती है। खसरा संख्या 783/2, 783 व 783/6 की मियां पृथक पृथक खाते दर्ज है। तथा पृथक पृथक तरमीमशुदा है। उभयपक्ष के मध्य ाराजीयात् की वास्तविक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति में ऐसे विवादो का समाधान ोमाज्ञान एवं सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न रोपित करवाकर ही करवाया जा सकता है। कि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में सभी सरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक ोमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान ोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्थाई सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए रवाया जा सकता है ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 783/2 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 783 व 783/6 की आराजी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं उदय
सहायक कलक्टर जैतारण (

विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर प चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना धिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत रा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं रवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं ग्राम– निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में स्थित प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 783/2 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा नम्बर 783 रकबा 0.7527 हैक्टेयर स्म बारानी दोयम व अप्रार्थीगण संख्या 03 से लगायत 06 तक की आराजी खसरा म्बर 783/6 के रकबा 0.4613 हैक्टेयर के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व धिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक माबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण रें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक पित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर स्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर र्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनाँक 08/04/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested